

2850

11781

S-43/11781



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सूचना-पत्र, दादरी, गौतम बुद्ध नगर A 202952

फांटी गवाहों के बयानों के आधार पर संस्थापित किया

विक्रय-मूल्य -94,44,800/-

स्टाम्प - 6,61,200/-

परगना व तहसील - दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

विक्रय-विलेख

1. भूमि प्रकार - कृषि
2. परगना व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ० प्र०)
3. ग्राम चमरावली रामगढ
4. सम्पत्ति का विवरण-आराजी खसरा संख्या-138 व 108/717
5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.7241 हेक्टेयर
7. सडक की स्थिति - (परिशिष्ट के अनुसार)रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर

नि.प्र.

६.६५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 14
स्टाम्प नं० 25000
में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

श्री. विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प

रु 1202 इन्डिया स्टाम्प
श्री. विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प

9444 000

जगत 20 योग 5020 शब्द लगभग 800
श्री. विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प
श्री. विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प
निवासी 5020 5020
में कार्यालय सब रजिस्टार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 15/10/09
मध्य रात्रि 3.30 बजे प्रस्तुत किया।

15/10/09

इस लेखपत्र का तपादन एच इलम लिख

जरेबदल मु० 9444 000

जिसमें से

नाद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प

श्री विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प
श्री विश्वपिता इन्डिया स्टाम्प





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202954

2

8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) - X
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेडो का मूल्यांकन- X
11. निर्माण का वर्ष - X
12. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है-नही

नि. सं. ६६५





OCT 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202955

3

प्रथम पक्ष की संख्या - (1)
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

छज्जू पुत्र श्री शमशेर निवासी ग्राम दतावली परगना
व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र०।
व्यवसाय - खेती
क्रेता का विवरण


सि-३०-६६५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 12 रू० 25/-
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया



प्रमाण कि इस मध्य
कार्यालय को प्रस्तुत
है कि प्रमाणित है
कि - प्रमाणित
कराया है कि प्रमाणित



A 202956

केसपियन, इन्फा स्ट्रेक्चर लि० कार्यालय स्थित-1202, अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गॉंधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी एस० बी० सिंह पुत्र श्री एस० पी० सिंह, निवासी 254 चन्द्रलोक कालोनी, लखनऊ ३० प्र०।


व्यवसाय - व्यापार

[Handwritten signature]

दि. 21-11-2009



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 10... 200...
स्टाम्प नं० 14... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





A 202957

5

मैं कि छज्जू पुत्र श्री शमशेर निवासी ग्राम दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र० (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) के हैं-

मि-छ-छज्जू



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 19 व 20

स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





A 202958

6

जो कि विक्रेता अपनी भूमि खाता सं०-59 खसरा संख्या-138, रकबा 0.6660 हेक्टेयर व बढा रकबा खसरा न०-138 रकबा 0-3-1 पुख्ता व 108/717 रकबा 0-1-11 पुख्ता रकबा 0-4-12 पुख्ता यानि 0.0581 इस प्रकार कुल रकबा 0.7241 है० सम्पूर्ण स्थित ग्राम चमरावली रामगढ परगना

नि-कं. दृष्ट



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 20 वु 2009
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





A 202959

7

व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ० प्र० का मालिक व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) में विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों,

नि-अं-६७७

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० २१ वी० २००९
स्टाम्प नं० १४ में शामिल किया गया
उप रोकडिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202960

8

विभिन्न प्रकार के, रहन, बधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, आदि से बरी व पाक व साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को रूपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः अपनी राजि खुशी से बिना किसी जोर दबाव, नाजायज के बय जरूरत होशो

सि-अ-६६५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं. 22... 2518
स्टाम्प नं. 12... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202961

9

हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाईशी, जिसका विस्तृत विवरण इस अभिलेख के अन्त में दिया गया है। को बकीमती मुबलिंग रूपया- 94,44,800/रु0 (चोरानवे लाख चवालीस हजार आठ सौ रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया-47,22,400/(सेतालीस लाख बाईस हजार चार सौ

नि. सं. ६७५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 23... 25...
स्टाम्प नं० 12... में शामिल किया गया
उप सेकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202962

10

रुपया मात्र) होते है। में वदहस्त केसपियन,इन्फा स्ट्रेक्चर लि०, कार्यालय स्थित-1202, अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गॉंधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी एस० बी० सिंह पुत्र श्री एस० पी० सिंह, निवासी 254 चन्द्रलोक कालोनी लखनऊ। (जिसे आगे क्रेता कहा गया है) के पक्ष में

सि-अं- ६६७७



सि-अं- ६६७७



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 24/00 6577
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप सेक्रेटरी

REPUBLIC OF INDIA

आज्ञापूर्वक से प्रेषित किया गया है। (सामान्य प्रशासनिक कार्य)।
100011- दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित किया गया है।
सिवाय इसके कि उपरोक्त में उल्लेख किया गया है।
में उल्लेख किया गया है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202963

11

बय फरोखा कतई किया यानि कि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त बखूबी

मि-कं दृज्ज



एक



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं०... २५... २५...
स्टाम्प नं०... १५... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

00000

00000

उप रोकड़िया



कार्यालय उप कोषागार दादरी
उप रोकड़िया



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202964

12

करा दिया अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उसके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या कोई हिस्सा व दावा उक्त विक्रित भूमि या

मि-डि-कुंज



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 28 वु 28 MAY
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202965

13

उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में क्रेता उपरोक्त



नि: ३

६६५


३६

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 27 वी० 2 मजे
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकडिया

2





A 202966

14

से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामे के समक्ष बिलकुल नाजायज शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या

नि. ३१
६/६/६५



A 202967

15

उजर दारी या हक दारी से विक्रित भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले



नि. डा.
ए.ए.ए.

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 29
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202968

16

मिल्कीयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जावे, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा मार्ग गरशित निकले तो

नि.अ.
द.पू.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202969

17

तमाम सूरतो में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व

नि. सं. ६७५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 3) वु. 2544
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप सेकड़िया

2

REPUBLIC OF INDIA

आपने हमारे द्वारा की गई प्रकृति से कह कि प्रकृति प्रकृति से प्रकृति प्रकृति
प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202970

18

उसके वारिसान व कायम मुकामान की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेंवे कोई मुकाम उजर का न होगा। यदि विक्रय विलेख

सि-कं ६७५



Handwritten signature or initials in black ink, located to the right of the circular stamp.



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 32
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकाड़िया

25000
TWENTY FIVE THOUSAND ONLY

25000
TWENTY FIVE THOUSAND ONLY

UTTAR PRADESH

प्रमाणित है कि उपरोक्त राशि का नामक अकाउंट में जमा किया गया है।
अकाउंट नं० 14 में शामिल किया गया है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202953

19

को पंजिकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की उक्त भूमि पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति संस्था अथवा शासन द्वारा

ति- ३१ दृग्ज



FS

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं०... 15... 2...
स्टाम्प नं०... 14... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202971

20

किसी प्रकार ऋण शुल्क टेक्स लगान किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मागे जाते है तब विक्रेता उस राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने

सि. सं. ४६५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० ३३ २००० २०११
स्टाम्प नं० १५ में शामिल किया गया
उप रोकड़िया






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202972

21

पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता अथवा उसकी सम्पत्ति से वसूल लेगा
विक्रित भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग राज मार्ग जनपदीय मार्ग लिंक मार्ग पर

मि. अ. द. द. द.



Handwritten signature or initials.



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 34 वी० 254
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप सेकड़िया





A 202973

22

स्थित नहीं है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से करीब 1 किमी० की दूरी पर स्थित है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है। विक्रित

नि.अ. दृष्ट



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० ३५२०० २५५
स्टाम्प नं० १५५ में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





A 202974

23

भूमि पर कोई षेड आदि नहीं लगा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है और जिसमे वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रित भूमि ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र० मे स्थित है विक्रित भूमि का

सि. नं. ६६५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी
15 OCT 2009
स्टाम्प नं० 36
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202975

24
कुल क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर है, जिसकी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा सर्किल रेट 88,00,000/रु० प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, लेकिन स्टाम्प उससे अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उक्त भूमि सिलिंग अथवा पटटे नहीं है और न ही किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत की है।

नि-३० दृष्ट






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202976

25

अतः संस्थागत वित्त उ० प्र० सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 अधिसूचना संख्या 1-सं० वि० क० नि० -5-2756/11-2008-500(1165)/2007 लखनऊ दिनांक-30 जून 2008 के अनुसार, शेड्यूल 1 के अनुसार विक्रय मूल्य पर मुबलिग रुपया 6,61,200/रु० स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

सि-३-६६५



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 3800 2009
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

2





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH
कोषाधिकारी

A 202977

26

क्रेता व विक्रेता के मध्य कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नही किया गया है। उक्त विक्रित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थयी पता उपरोक्त अनुसार है। यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी/न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता विक्रेता से प्रतिफल मय कानूनी ब्याज वसूल पाने का अधिकारी होगा है ।

मि. के. दृग्ज



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

15 OCT 2009

स्टाम्प नं० 37 वु 2009
स्टाम्प नं० 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

R





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 294413

27

मसौदाकर्ता ने मौका नहीं देखा है क्रेता विक्रेता के कथन के आधार पर मसौदा तैयार किया गया है चस्पा फोटो गवाहान के कथन पर केवल सत्यापित किये गये है। लिहाजा सह बनसूना रूबरू गवाहान खूब सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव नुजायज के बदुरुस्त होशो हवास व स्वस्थचित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर कर के बैनामे का निष्पादन किया ।

सि-कं-६७५





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 294414

28

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता सं०-59 खसरा संख्या-138, रकबा 0.6660 हैक्टेयर व बढा रकबा खसरा न०-138 रकबा 0-3-1 पुख्ता व 108/717 रकबा 0-1-11 पुख्ता रकबा 0-4-12 पुख्ता यानि 0.0581 इस प्रकार कुल रकबा 0.7241 है० सम्पूर्ण स्थित ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील -दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ० प्र०

नि.कं. दृष्ट



24
22

511e

संस्था का नाम...

संस्था का पता...

संस्था का नाम व पूरा पता...

संस्था की धारणा...

उमेश चन्द शर्मा स्वयं विक्रेता (ला0बं0-13)

संस्था की प्रतियोगिता 31-3-200...

संस्था का स्वयं-सहायक समिति, दारु, (संस्थागत कार्य)

FIVE THOUSAND RUPEES


पाँच हजार रुपये

उत्तर प्रदेश

85

आधिकारिक सिंग

संस्था का नाम...
संस्था का पता...
संस्था का नाम व पूरा पता...
संस्था की धारणा...
उमेश चन्द शर्मा स्वयं विक्रेता (ला0बं0-13)
संस्था की प्रतियोगिता 31-3-200...
संस्था का स्वयं-सहायक समिति, दारु, (संस्थागत कार्य)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 418693


29

तफसील वसलूयाबी जरसमन

छज्जू पुत्र श्री शमशेर भूमि का तय शुदा मूल्य रूपया 94,44,800 / (चोरानवे लाख चवालीस हजार आठ सौ रूपया मात्र) निम्न प्रकार प्राप्त किया

1. चैक संख्या 773134 अंकन-30,00,000 / रू0 (तीस लाख रूपये मात्र) दिनांक-24-09-09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा बारह खम्बा रोड नई दिल्ली के द्वारा
2. चैक संख्या 773135 अंकन-30,00,000 / रू0 (तीस लाख रूपये मात्र) दिनांक-24-09-09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा बारह खम्बा रोड नई दिल्ली के द्वारा

नि. सं. 8/09



27
22
18/12

स्टाम्प दिव्य की तिथि
स्टाम्प कराने का प्रयोजन
स्टाम्प केता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

उमेश चन्द शर्मा स्टाम्प विक्रेता (सं०-13)

हाईवे की अर्धी 31-3-200

दिव्य का स्थान-राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली, (सौभाग्यवत बंगला)

Rs. 1000

₹ 1000





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 008514

30

3. चैक संख्या 773136 अंकन-28,00,000/रु0 (अठाईस लाख रूपये मात्र) दिनांक-24-09-09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा, ~~मार्क~~ खम्बा रोड नई दिल्ली के द्वारा तथा शेष 6,44,800/रु0 नगद समक्ष गवहान प्राप्त किये ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया 34,44,800/ (चौरानवे लाख चवालीस हजार आठ सौ रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रित आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा है।

सि.के. दूज



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE

HUNDRED RUPEES



भारत INDIA

भारत INDIA

OCT 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31

AE 008513

विक्रेता

क्रेता

नि. क्र. ६६५

गवाह नं01- विक्रेता के पहचान के मुस्ताक पुत्र श्री मौ0 जयपाल निवासी ग्राम दतावली पर0 व तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

श. र. लाल

गवाह नं02- क्रेता के पहचान के संजीव कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बी0 बी0 श्रीवास्तव निवासी डी0 एस0 लाल सिटी मकौडा रोड ग्राम तिलपता करनवास पर0 व तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

दिनांक-15-10-2009-मसौदाकर्ता-जयपाल सिंह नागर एडवोकेट

टाईप कर्ता-
संदीप पाण्डे

श्री. जयपाल सिंह नागर

एडवोकेट

बहु. स. म. पा. ३३६, दादरी, गौ. बु. नं. ३३६

स्तम्भ विभाग की तिथि 15/12
 स्तम्भ का कार्ड का प्रयोग 2
 स्तम्भ के लिए जो काम पूरा था 15
 स्तम्भ की संख्या 15
 उमेश चन्द (सं. 100-100-100-100)
 स्तम्भ की अंश 01-0-100 C.F.
 स्तम्भ का स्थान-तहसील कम्पार्ट, दादरी, (जीतमपुर नगर)



आज दिनांक 15/10/09
 प्रति पुस्तक संख्या 2335
 के पृष्ठ 66 पर क्रम संख्या 11201
 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
 दादरी